

म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

रेरा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल दूरभाष-0755-2556340, 2556760

Website:- www.rera.mp.gov.in, Email id- secretaryrera@mp.gov.in

क्रमांक 2021/FR/A-05/957

भोपाल, दिनांक 8/11/2021

प्रति,

सांवरिया एवेन्यू,
सम्प्रवर्तक, सांवरिया एवेन्यू,
40-एमआईजी, मुखर्जी नगर,
देवास(म०प्र०)

विषय- परियोजना- सांवरिया एवेन्यू देवास (प्रोजेक्ट क्र.- 10006164088) के संबंध में।
संदर्भ- परियोजना में सुनवाई दिनांक 01-11-2021

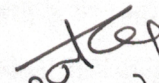
-0-

कृपया उपर्युक्त संदर्भित दिनांक 01-11-2021 प्राधिकरण द्वारा की गई सुनवाई का स्मरण करे, जिसमें कि परियोजना सांवरिया एवेन्यू देवास सशर्त मान्य किया गया है। परियोजना को पंजीयन क्र० P-DWS-21-2984 आवंटित किया गया है। **परियोजना प्रमाण पत्र संलग्न है।**

प्राधिकरण के आदेशानुसार मुझे यह सूचित करने के निर्देश है कि उक्त पंजीयन भू-सम्पदा(विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 11 एवं भू-सम्पदा(विनियमन एवं विकास) नियम 2017 के नियम 9, 14, 15 एवं 16 में उल्लेखित प्रावधानों के अधधीन मान्य किया गया है।

कृपया उपर्युक्तानुसार सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।


(नीरज दुबे)
सचिव

म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

रेरा भवन अरेरा हिल्स, मेन रोड नम्बर 01, भोपाल

क्रमांक 2021 / II-R/A-05/F-²⁰¹ रेरा / पंजीयन / 2021 भोपाल दिनांक 08 / 11 / 2021
वड्ड

प्रति,

श्री अखिलेश सोनी (सांवरिया एवेन्यू)

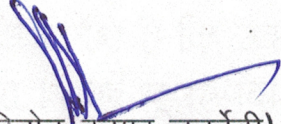
✓ 40-MIG. मुखर्जीनगर

देवास (म.प्र.)

विषय:- सांवरिया एवेन्यू देवास म.प्र का पंजीयन।

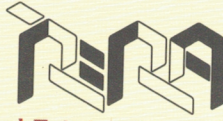
उपरोक्त विषयक सांवरिया एवेन्यू देवास म.प्र का पंजीयन
P-DWS-21-2984 का मूल प्रमाण पत्र संलग्न प्रेषित है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार


(विनोद कुमार चतुर्वेदी)

उप सचिव

म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण



Real Estate Regulatory Authority
Madhya Pradesh भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण
मध्य प्रदेश

रेरा भवन, अरेरा हिल्स, मेन रोड नं. 1, भोपाल-462011

प्ररूप "ग"
{नियम 6 (1) देखिए}

परियोजना का पंजीयन प्रमाण-पत्र

यह पंजीयन अधिनियम की धारा 5 के अधीन निम्नलिखित परियोजना को परियोजना पंजीयन क्रमांक **P-DWS-21-2984** अधीन मंजूर किया जाता है:-

प्रोजेक्ट - सांवरिया एवेन्यू देवास
म.प्र.

(परियोजना पते को सम्मिलित करते हुए परियोजना के ब्यौरे विनिर्दिष्ट कीजिए):

- (व्यक्तिगत की दशा में) श्री/श्रीमती
पुत्र श्री/श्रीमती
तहसील जिला राज्य

या

(फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी की दशा में) **सांवरिया एवेन्यू देवास**,
फर्म/सोसाइटी/कंपनी सक्षम प्राधिकारी **40-M.I.D. मुखर्जी नगर देवास (म.प्र.)** में इसका पंजीकृत
कार्यालय/कारोबार का प्रमुख स्थान होगा।

- यह पंजीयन निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन मंजूर किया जाता है, अर्थात् -
(एक) सम्प्रवर्तक "उपबंध-क" में यथा उपबंधित के साथ विक्रय हेतु करार करेगा।
(दो) सम्प्रवर्तक धारा 17 के अनुसार कॉमन क्षेत्र या अपार्टमेंट के, जैसी भी स्थिति हो, आबंटिती के संघ या आबंटिती के पक्ष में हस्तांतरण विलेख को निष्पादित या पंजीकृत करेगा।
(तीन) सम्प्रवर्तक धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (1) के उपखण्ड (घ) के अनुसार निर्माण लागत तथा इस प्रयोजन के लिए उपयोग की जानेवाली भूमि की लागत को पूरा करने के लिए सम्प्रवर्तक द्वारा वसूली गई रकम का सत्तर प्रतिशत अनुसूचित बैंक में बनाए रखने के लिए अलग खाते में जमा करेगा।
(चार) पंजीयन **दिनांक 01-11-2021** से शुरू करते हुए **31-10-2024** के साथ समाप्त करते हुए **03 (तीन)** वर्ष की कालावधि के लिए वैध होगा, यदि अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 8 के अनुसार रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण द्वारा नवीकृत नहीं कराया जाता है।
(पांच) सम्प्रवर्तक इसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों को अधिनियम के उपबंधों के साथ लागू करेगा।
(छः) सम्प्रवर्तक क्षेत्र में लागू जहां परियोजना का विकास किया जा रहा है तत्समय किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा।
- यदि उक्त उल्लिखित शर्तें सम्प्रवर्तक द्वारा पूरी नहीं की जाती हैं, तो विनियामक प्राधिकारी अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अनुसार इसमें पंजीयन मंजूरी को प्रतिसंहत करते हुए सम्प्रवर्तक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा।

4. उक्त परियोजना प्रकरण में प्राधिकरण के आदेश में अंकित शर्तों के अध्वधीन।

दिनांक **01-11-2021**

स्थान : **भोपाल**

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण